एक ईएसआईसी मज़दूर की आपबीती

छोटेलाल

मेरा नाम छोटेलाल है। मज़दूर आदमी हूं। अचानक से मेरी बीबी को, रविवार, 16.04.23 को, पेट में दर्द हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वहां ले जा सकूं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जाते ही 20,000 रु जमा करने को कहते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए मैं ई एस आई हॉस्पिटल में ले जाने के लिए जब साधन के लिए रोड पर गया तो कोई साधन नहीं मिला। और इधर बीबी का दर्द दुगुना होता जा रहा था। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को भी नहीं छोड़ सकता। बीबी बच्चों को गोद में उठाने लायक नहीं हूँ। साधन ना होने के कारण मैं अपनी साइकिल पर ले जाने को तैयार हुआ, लेकिन बीबी और बच्चों को साइकिल पर एडजस्ट नहीं कर पाया। पड़ोसी कहने लगे अरे, इतने दर्द में बीबी और बच्चों को कैसे ले जाएगा? कैसे संभालेगा? तू ओला-ऊबर क्यों नहीं मंगा लेता। लेकिन उसके लिए भी पैसे चाहिएं। रात में कितना किराया लेंगे, क्या मालूम? हमारी हालत देखकर उसने गाड़ी मंगाई और हम अस्पताल पहुच गए।

जब मैं हॉस्पिटल के इमरजेंसी के गेट पर पहुंचा, तो व्हीलचेयर लाने के लिए मुझे ओ पी डी के गेट पर जाना पड़ा। आई डी देनी पड़ी तब जाकर व्हीलचेयर मिली। डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने अपना काम किया, मेडिकेशन दिया। मरीज के ईलाज के पहले पेपर व्हीलचेयर पर ही छूट गए थे। जब दो बोतल देने और इंजेक्शन देने के बाद भी आराम नहीं हुआ तब डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट कराने को कहा। जब मैंने कहा कि तब तक मेरी बीबी दर्द में ही रहेगी क्या? तो उन्होंने कहा, सैंपल आने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। मैं सैंपल लेकर पहली मंजिल पर गया। एक सैंपल एक बजे मिला, दूसरा तीन बजे मिला। मैंने डॉक्टर के बिना पूछे कमरा नंबर 3 इमरजेंसी में काफी देर इंतज़ार करने के बाद बेड की व्यवस्था किया। बाद में रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर बोले, कमरा नंबर 3 में बेड खाली हो तो व्यवस्था कर लो। रात में 12 बजे से 3 बजे तक मेरी बीबी व्हीलचेयर पर ही रही। साथ में जाने वाले के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। ईएसआई हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, एंट्री के लिए पूरा दिन लग जाता है, बेड नहीं मिलते। दवाई के लिए लाइन लम्बी हो जाने की वजह से अगले दिन बुलाते हैं। दिहाड़ी पर दिहाड़ी ख़राब होती है। ईएसआई के पास इतना पैसा है। लाखों-करोड़ों मज़दूरों के वेतन से पैसा हर महीने कटता है फिर भी व्यवस्था क्यों नहीं होती?

बेहतरीन चिकित्सा सेवा के वायदे पर ईएसआईसी केवल बेहतरीन वसूली करती है

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

देश के नागरिकों को निशुल्क अथवा सस्ती चिकित्सा सेवा प्रदान करना टैक्स वसूलने वाली सरकार का दायित्व है। इसके बावजूद औद्योगिक मज़दूरों को विशेष चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के नाम पर देश की संसद ने 1952 में ईएसआई कॉर्पोरेशन एक्ट बनाया था। इसके द्वारा मज़दूरों के वेतन से वसूली तो कॉर्पोरेशन करता है तथा चिकित्सा सेवा देने का काम राज्य सरकारों को सौंप दिया गया जिसके लिये कुल खर्च का आठवां भाग राज्य सरकार तथा शेष सात भाग कॉर्पोरेशन द्वारा खर्चने का नियम बनाया गया था लेकिन अधिकतर राज्य सरकारों ने न तो इस योजना के तहत सेवाएं दी और न ही कॉर्पोरेशन से वसूली की।

ईएसआईसी द्वारा मज़दूरों से वसूली के बावजूद जब उन्हें संतोषजनक सेवाएं नहीं मिल पाई तो हल्ला-गुल्ला होने पर कॉर्पोरेशन को स्वयं अपने अस्पताल भी खोलने पड़े। आज देश भर में ईएसआई के कुल 154 अस्पताल हैं। इनमें से 51 अस्पतालों को खुद कार्पोरेशन तथा शेष 103 को राज्य सरकारें चलाती हैं। 23-29 अप्रैल के अंक में कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित अस्पतालों का ब्यौरा दिया गया था। इस बार राज्यों द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों का ब्यौरा दिया जा रहा है।

इन 103 अस्पतालों में कुल 13,510 बेड हैं जिनमें से केवल 10,533 बेड चालू हैं यानी कि मरीजों द्वारा इस्तेमाल में लाये जा सकते हैं; परन्तु इनमें से केवल 35 प्रतिशत ही इस्तेमाल में लाये जा रहे हैं। यानी कि 65 प्रतिशत बेड उपलब्ध होने के बावजूद भी किसी काम नहीं आ रहे। इसका यह मतलब कदापि नहीं निकाला जा सकता कि मज़दूर बीमार नहीं होते अथवा उन्हें इन बेड की कोई जरूरत ही नहीं है। वास्तव में जरूरत तो इससे भी कहीं अधिक है परंतु घटिया सेवाओं के चलते अधिकतर मज़दूर इन अस्पतालों में भर्ती होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते और बाहर से ही अपना इलाज कराना बेहतर समझते हैं।

राज्य सरकारों द्वारा इन अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं का स्तर इसी बात से आंका जा सकता है कि औसतन प्रति बेड 5000 रुपये प्रतिदिन का खर्च आ रहा हैं जबकि कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित अस्पतालों में प्रति बेड प्रति दिन 15,000 रुपये का खर्चा आ रहा है।

राज्य सरकार संचालित ईएसआईसी अस्पतालों में कुल 2957 डॉक्टरों के स्वीकृत पद हैं जो कुल जरूरत का चौथाई भी नहीं है। इस पर भी स्वीकृत पदों में से 800 खाली पड़े हैं। पैरामेडिकल तथा नर्सिंग स्टाफ़ के पद कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित अस्पतालों के मुकाबले आधे भी नहीं हैं। इतना ही नहीं कॉर्पोरेशन स्वयं भी इन अस्पतालों के रख-रखाव का दायित्व भी नहीं निभा रहा है।

नियमों के अनुसार इन अस्पतालों के भवन निर्माण से लेकर उनके रख-रखाव का पूरा दायित्व कॉर्पोरेशन का है। अपना यह दायित्व कॉर्पोरेशन कैसे निभाता है उसका बेहतरीन नमूना सेक्टर आठ फरीदाबाद का अस्पताल व सेक्टर सात की डिस्पेंसरी हैं। रख-रखाव के अभाव में दोनों बिल्डिंगें खंडहर हो चुकी हैं। सेक्टर आठ के अस्पताल में बिजली के दो ट्रांसफार्मर शुरू में लगाये गये थे। जो दोनों नाकारा हो गये। अब केवल एक ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। जिसका किराया 12 लाख भरा जा चुका है जबकि उसकी कुल कीमत तीन लाख है।

आवारा गायों को सड़कों से हटाने के नाम पर नगर निगम का नया शगूफा

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) नगर निगम अधिकारियों द्वारा मीडिया में प्रकाशित कराये गये बयान के मुताबिक किसी भी समय शहर की सड़कों पर 5000 से अधिक लावारिस गाय व सांड आदि विराजमान रहते हैं। अधिकारी यह भी स्वीकार करते हैं कि इनकी वजह से अनेक सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार तो ये पशु लोगों पर सीधा जानलेवा हमला तक भी कर देते हैं। इस तरह के अनेकों मामले समय-समय पर मीडिया में प्रकाशित भी होते रहे हैं।

मीडिया में प्रकाशित बयान में निगमायुक्त जितेन्द्र कुमार, संयुक्त आयुक्त गौरव अंतिल, एवं शिखा अंतिल तथा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभजोत कौर इत्यादि की ओर से कहा गया है कि मौजूदा तीन गौशालाओं में उपलब्ध स्थान के मुकाबले अत्यधिक पशु भर रखे हैं जिन पर निगम लाखों रुपया महीना खर्च कर रहा है। अब शहर से पांच हजार पशुओं में से मात्र 2500 पशुओं को हटाने की एक योजना तैयार की जा रही है। इसके लिये बाईलॉज बना कर गांव भूपानी व नवादा में नई गौशालाओं का निर्माण किया जायेगा। इनके लिये आवश्यक बजट अनुदान पर भी विचार किया जा रहा है।

गौरतलब है कि इस तथाकथित स्मार्ट सिटी में 5000 पशुओं की सड़कों पर उपस्थिति को निगम प्रशासन न केवल स्वीकार करता है बल्कि इन से आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से भी अवगत है। इसके बावजूद अभी तो बायलॉज बनाने का काम शुरू किया जायेगा। अधिकारी यह नहीं बताते कि नई गौशालायें किस तारीख तक बन जायेंगी और उनमें इन पशुओं को कब तक भेज दिया जायेगा? सड़कों पर ये पांच हजार पशु कोई दो-चार दिन में नहीं आकर खड़े हुए हैं, ये वर्षों से यहां न केवल मौजूद हैं बल्कि लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं।

दूसरी मजेदार बात यह है कि इन 5000 में से निगम केवल 2500 को ही हटाने की बात कर रहा है। यानी कि शेष 2500 पशुओं का ठिकाना सड़कों पर ही रहेगा और इस बात की क्या गारंटी है कि जब तक निगम इन 2500 को हटायेगा तब तक इनकी संख्या बढ़कर तीन या चार हजार नहीं हो जायेगी? यानी कि गौशालायें बनाने, उन्हें बजट अनुदान देने के सिलसिले के साथ-साथ हजारों आवारा पशु सड़कों पर भी विराजमान रहेंगे। अब देखना यह भी है कि ये तमाम बेईमान अधिकारी अपनी इस योजना को कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं। यही है नगर निगम एवं खट्टर सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था।

बिना परमिट मथुरा-गुड़गांव जा रहीं मामा की बसें

हरियाणा से यूपी या किसी अन्य राज्य के लिए प्राइवेट बसों को नहीं जारी किया गया है परमिट

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) बिना परमिट दिल्ली से यूपी जा रहे किराना सामान लदे ट्रक को पकड़कर वाहवाही लूटने वाला मुख्यमंत्री उड़नदस्ता मुख्यमंत्री के मंत्री या उनके खास लोगों के अवैध वाहन देख कर रास्ता बदल लेता है। मुखबिर भी दूसरे राज्यों के अवैध वाहनों की जानकारी खूब देते हैं लेकिन बदरपुर बॉर्डर और बल्लभगढ़ बस स्टैंड के सामने से सरकारी बसों के आगे से सवारी भरने वाली यह अवैध और फर्जी परमिट वाली बसें उन्हें भी नजर नहीं आतीं।

परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के शहर में फरीदाबाद से मथुरा-आगरा और बल्लभगढ़ से गुड़गांव जाने वाली अनेक बसें बिना परमिट अवैध रूप से संचालित हैं। इन अवैध बसों को किसी भी समय बदरपुर बार्डर, बल्लभगढ़ बस अड्डे के सामने, मेट्रो मोड़, सैनिक कॉलोनी मोड़ के पास सवारियां उतारते-चढ़ाते देखा जा सकता है। बदरपुर बॉर्डर से मथुरा के लिए सवारी भर कर अधिकतर बसें बाईपास से होते हुए मथुरा की ओर रवाना होती हैं। कई बसें ओल्ड फरीदाबाद, अजरौंदा, बल्लभगढ़ की सवारियां भरते हुए मथुरा की ओर रवाना

होती हैं। बल्लभगढ़ बस अड्डे के सामने से भी फरीदाबाद-मथुरा का बोर्ड लगाए बड़ी-छोटी बसें सवारियां भरते देखी जा सकती हैं।

इन अवैध बसों के चालक-परिचालक का जलवा यह है कि सरकारी बसों के खड़े होने के बावजूद पहले सवारियां इनमें बैठाई जाती हैं। परिवहन विभाग के समानांतर चलाए जा रहे इन अवैध बसों के नेटवर्क के कारण परिवहन विभाग को रोजाना कई लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। जो कि आसानी से बचाया जा सकता है यदि सरकार की नीयत साफ हो तो।

ऐसा नहीं है कि इन अवैध बसों के बारे में अधिकारियों को जानकारी नहीं है। भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक अवैध रूप से चलने वाली सभी बसों के बाकायदा नंबर, उनके चलने का स्थान, समय और रूट आदि की जानकारी भी इन अधिकारियों को है। मजे की बात तो यह है कि इन बसों के अलावा यदि और कोई बस चले तो उसे तुरंत पकड़कर बंद कर दिया जाता है और मोटे जुर्माने वसूल किए जाते हैं। यदि सभी लोगों को इस तरह की लूट का अधिकार मिल जाए तो केंद्रीय मंत्री किशनपाल गूजर का मामा होने का फायदा क्या हुआ।

मुख्यमंत्री उड़नदस्ता भी केंद्रीय मंत्री और राज्य के परिवहन मंत्री के चहेते मामा के संरक्षण में चलने वाली इन बसों को पकड़ने में शायद इसीलिए खुद को बेबस पाता है। परिवहन विभाग के अधिकारी भी जानने के बावजूद रूट पर अवैध रूप से चलने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें सुकून से नौकरी करनी है।